TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Electronics and Information Technology
Electronics Niketan
6, CGO Complex
***

New Delhi – 110003
December 13, 2013

**Notification**

**Standard for Preservation Information Documentation (eGOV-PID) of Electronic Records**

No. 1(2)/2010-EG-II. WHEREAS, Department of Electronics & Information Technology (DeitY), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism; implement a number of Mission Mode Projects at the Centre & State government and also promote the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins.

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance.

AND WHEREAS, immediate need has been felt to have Standard for Preservation Information Documentation of Electronic Records, which would enable standardized metadata dictionary and schema for describing the "preservation metadata" of an electronic record. This standard proposes to capture most of the preservation information (metadata) automatically after the final e-record is created by the e-government system.

AND WHEREAS, the Competent Authority on Standards has approved the Standard for Preservation Information Documentation of Electronic Records.

NOW, this Department hereby notifies Standard for Preservation Information Documentation of Electronic Records for all e-Governance Applications w.e.f. the date of notification. The Standard can be downloaded from http://egovstandards.gov.in.

(Krishna Bidani)
Deputy Director

To

The Manager
Government of India Press
Faridabad (Haryana) : Along with Hindi Version.

Copy for information to:

1. All Secretaries, Government of India
2. Chief Secretaries of all the State Governments
3. Secretary (IT) of all the States.

(Krishna Bidani)
Deputy Director

**भारत के राजपत्र भाग I में प्रकाशनार्थ**

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन

6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

*****

नई दिल्ली-110003

13, दिसम्बर 2013

# अधिसूचना

## इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के संरक्षण सूचना प्रलेखन (ई-शासन-पीआईडी) के लिए मानक।

संख्या 1(2)/2010-ईजी-II जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) चला रहा है जिसका उद्देश्य समुचित शासन और संस्थागत तंत्र स्थापित करना, केन्द्र और राज्य सरकार में बहुत सारी मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित करने के साथ किसी भी प्रकार के प्रौद्योगिकी अवरोध को टालने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना भी है।

तथा जबकि, ई-शासन में मानकों को प्राथमिक गतिविधि के तौर पर समझा जाता है जो सूचना को साझा करने और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की सीवनहीन अंतरप्रचालनात्मकता को सुनिश्चित करने तथा ई-शासन के लिए मानक बनाने/अपनाने में मदद करेगा।

तथा जबकि, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के संरक्षण सूचना प्रलेखन (ई-शासन-पीआईडी) के लिए मानक होने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई है, जिससे मानकीकृत मेटाडेटा शब्दकोश और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के "संरक्षण मेटाडेटा" की व्याख्या करने के लिए योजना समर्थ होगी। इस मानक में ई-सरकार प्रणाली द्वारा अंतिम ई-रिकॉर्ड सृजित होने के बाद स्वत: ही अधिकतर संरक्षण सूचना (मेटाडेटा) को कैप्चर करना प्रस्तावित है।

तथा जबकि, मानकों पर सक्षम प्राधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के संरक्षण सूचना प्रलेखन (ई-शासन-पीआईडी) के लिए मानक को अनुमोदित किया है।

अब, यह विभाग अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से सभी ई-शासन अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के संरक्षण सूचना प्रलेखन के लिए मानक अधिसूचित करता है। इस मानक को http://egovstandards.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है।

(कृष्णा बिदानी)
उप निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार प्रेस
फरीदाबाद (हरियाणा)

**सूचनार्थ प्रतिलिपि:**

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
3. सभी राज्यों के सचिव (आईटी)

(कृष्णा बिदानी)
उप निदेशक